ई.डी.को मेघराज सिंह के ठिकानों से 37.16 लाख कैश मिला

ई.डी. ने 14 फरवरी को जयपुर, अजमेर व उदयपुर सहित करीब पचास जगह मेघराज एंड कंपनी के ठिकानों पर छापे मारे थे

जयपुर। होटल और बजरी कारोबारी मेघराज सिंह के जयपुर और उदयपुर सहित 50 ठिकानों पर हुए ईडी के सर्च में डिजिटल सबूत, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क और 37.16 लाख कैश मिला है। हालांकि तीन दिन चली इस कार्रवाई में मेघराज सिंह से ईडी का संपर्क नहीं हो पाया। मेघराज के संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई, लेकिन वह नहीं मिला।

ईडी ने बताया 14 तारीख को जयपुर, अजमेर और नागौर में विभिन्न स्थानों पर मेघराज सिंह एंड कंपनी के ठिकानों पर रेड मारी गई थी। राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई। इसमें आरोप लगाया गया कि मेघराज सिंह

- **सर्च में डिजिटल सबूत, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क, लैपटॉप और दस्तावेज मिले है।**

कृषि भूमि, श्मशान भूमि और गौचर भूमि पर अवैध खनन में शामिल है। वहीं अवैध स्टॉक बनाए रखने के लिए मेघराज सिंह एंड कंपनी द्वारा कांटे पर हर बार एक ही डंपर या ट्रेलर खड़ा कर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इसके अलावा बजरी ले जाने वाले ट्रकों व ट्रेलरों से अवैध टोल वसूली में शामिल है। मेघराज सिंह के ठिकानों पर सर्च के दौरान ईडी को 37.16 लाख रुपए नकद और विभिन्न आपत्तिजनक सामान मिला है। डिजिटल सबूत, मोबाइल, लैपटॉप दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

वहीं, ईडी ने एमआरएस ग्रुप के सभी बैंक खाते सील कर दिए हैं। इससे कम्पनी किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगी। 200 फीट के पास जयपुर ऑफिस में ईडी को सर्च के दौरान लॉकर से 5 लाख रुपए मिले हैं। वहीं, नागौर से 30 लाख रुपए नगद मिले। अन्य जगह से 2.16 लाख रुपए मिले। दोनों कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों पैसों की जानकारी नहीं होने की बात कही। ईडी ने पैसा सीज कर दिया। कुछ कार्यालय और घरों पर रेड के दौरान खान विभाग से जुड़ी फाइल भी मिली हैं। 24 से अधिक डिजिटल सबूत को भी सीज किया गया है। यह वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं। जिन्हें ईडी की साइबर टीम मौके पर क्रेक नहीं कर पाई। इन उपकरणों पर मुख्यालय में काम किया जाएगा।

ईडी के पास इनपुट हैं कि ग्रुप का बड़ा पैसा विदेश में जमीन पर इन्वेस्ट किया हुआ है। ईडी के सूत्रों की माने तो सोमवार तक टीमें जब्त दस्तावेजों पर काम कर लेगी। इसके बाद ईडी की ओर से मेघराज सिंह और उनके एसोशिएट पार्टनर को मुख्यालय पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इस दौरान अगर मेघराज सिंह ईडी मुख्लाय में पेश नहीं हुआ। ईडी एक्शन करने की तैयारी में है।

लवेंद्र सिंह करेंगे प्रतिनिधित्व

जयपुर, (का.प्र.)। जयपुर के लवेन्द्र सिंह शेखावत 1 से 7 मार्च तक रूस में होने वाले वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल 2024 में सम्मिलित होकर भारत व राजस्थान का मान बढ़ाएंगे। रूस सरकार द्वारा सोची में वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल 2024 का आयोजन करने जा रहा है जो कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार आयोजित होता है, जिसमें 190 देश के चुने हुए युवाओं को सम्मिलित किया जाता है। जहां लवेंद्र सिंह अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, युवा उद्यम इत्यादिक मुद्दों पर अपने विचार, संस्कृति का आदान-प्रदान करते हैं।

पूर्व में भी वर्ष 2018 से 2019 में भारत सरकार के अंतरराष्ट्रीय यूथ डेलीगेट एवं मॉडल यूनाइटेड नेशन में सम्मिलित होकर बैंकॉक, दुबई, इजिप्ट, इंडोनेशिया इत्यादि में पर्यावरण संरक्षण व बदलती जलवायु परिवर्तन पर अपनी बात रख चुके हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने इस दौरान अधिकारियों के साथ बैठक कर राजस्थान में कोयले की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने और ऊर्जा की आपूर्ति बढ़ाने के लिए संयुक्त उपक्रम के माध्यम से सोलर तथा थर्मल पावर प्लांट विकसित करने पर चर्चा की। आने वाले गर्मी के मौसम में बिजली की मांग में संभावित वृद्धि को देखते हुए आगे भी पर्याप्त कोयला मिलता रहे, इस बारे में आज शनिवार को हुई बैठक में चर्चा की गई।

बाल सुधार गृह का गार्ड और व्यापारी गिरफ्तार

जयपुर। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की सूचना पर ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने बाल सुधार गृह से फरार हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य एक नाबालिग और उसके गिरोह के अन्य सदस्यों को पैसे देकर आर्थिक सहायता एवं बाहर से अन्य

- **एजीटीएफ की सूचना पर ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस की कार्रवाई**
- **आर्थिक सहायता व बाहर से सामान उपलब्ध कराया करते थे दोनों**

सामान उपलब्ध कराने के आरोप में बाल सुधार गृह के एक गार्ड और व्यापारी को गिरफ्तार किया है।

क्राइम ब्रांच एसपी करण शर्मा ने बताया कि 11 फरवरी को जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में स्थित बाल सुधार गृह की जाली तोड़ 22 बाल अपचारी फरार हो गए थे। इनमें एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। वह जयपुर के जवाहर

नगर क्षेत्र के जी-क्लब फायरिंग मामले में भी शामिल था। उसने बाल सुधार गृह में भी अलग से अपना 4-5 बाल अपचारियों का गिरोह बना रखा है।

एसपी शर्मा ने बताया कि एसजीटीएफ को जानकारी मिली कि बाल सुधार गृह का गार्ड व व्यापारी उन्हें पैसे देकर और बाहर से सामान लाकर देते थे। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशा राम चौधरी के सुपरविजन एवं इंस्पेक्टर राम सिंह नाथावत के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल शंकर दयाल शर्मा कमल सिंह एवं कांस्टेबल भूपेंद्र शर्मा व देवेंद्र सिंह की टीम गठित की गई।

टीम ने शनिवार को एसएचओ ट्रांसपोर्ट नगर को सूचना दी। जिस पर उन्होंने टीम के साथ बाल सुधार गृह के बाहर दुकान लगाने वाले आरोपी महेश चन्द जाट निवासी देवली खुर्द मारोठ नागौर एवं गार्ड मनोज मीणा निवासी खानिया बन्धा पुराना घाट गेट चेक पोस्ट ट्रांसपोर्ट नगर को गिरफ्तार कर लिया।

एसपी शर्मा ने बताया कि इस संपूर्ण कार्रवाई में इंस्पेक्टर राम सिंह का कुशल नेतृत्व रहा। हेड कांस्टेबल शंकर दयाल शर्मा व कमल डागर की विशेष भूमिका एवं हेड कांस्टेबल रामावतार की तकनीकी भूमिका रही। कांस्टेबल भूपेंद्र शर्मा व देवेंद्र सिंह टीम में शामिल थे। गिरफ्तारी में एसएचओ ट्रांसपोर्ट नगर जुल्फिकार एवं कांस्टेबल धर्मेंद्र व कैलाश शामिल थे।

दो और बाल अपचारी पकड़े

जयपुर। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित बाल सुधार गृह की खिड़की काटकर भागे तेईस बालअपचारियों में से शनिवार को दो बाल अपचारियों को और पकड़ लिया गया है। शुक्रवार को दो और गुरुवार को पुलिस ने तीन बाल अपचारियों को पकड़ा था। अब तक पकड़े गए बाल अपचारियों की संख्या 14 हो चुकी है।

अब लॉरेंस गैंग के शूटर सहित करीब नौ लोग पुलिस की पकड़ से दूर है। ट्रांसपोर्ट नगर थानाधिकारी जुल्फीकार ने बताया कि शनिवार को प्रतापनगर से दो बाल अपचारियों को दबोचा है। इन बाल अपचारियों को पूछताछ के बाद बाल सुधार गृह भिजवा दिया गया है।

नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब

जयपुर। हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती-2022 में भूतपूर्व सैनिक का चयन होने के बाद भी उसे नियुक्ति नहीं देने और चयन निरस्त करने पर शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है। अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश रामेश्वर जाट की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

- **अदालत ने एडलवेस एसेट रिकन्सट्रक्शन कंपनी व उसके कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए**

इंडसइंड बैंक पर लगाया नौ हजार रुपए का हर्जाना

जयपुर, (का.सं.)। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने वाहन लोन चुकता होने के बाद भी उसकी एनओसी जारी नहीं करने को सेवादोष माना है। इसके साथ ही आयोग ने इंडसइंड बैंक पर 9 हजार रुपए हर्जाना लगाते हुए निर्देश दिए हैं कि परिवादी के दोनों ट्रकों की एनओसी जारी की जाए। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि जब परिवादी ने वाहनों का पूरा लोन चुका दिया है तो बैंक को यह अधिकार नहीं है कि वह उसके वाहनों की एनओसी जारी नहीं करे। बैंक का ऐसा करना सेवादोष की श्रेणी में आता है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबे सिंह यादव व सदस्य नीलम शर्मा ने यह आदेश हजारीलाल सैनी के परिवाद पर दिए।

परिवाद में कहा गया की उसने विपक्षी बेंक से वर्ष 2010 में टाटा एलपीटी वाहन के लिए 17.66 लाख रुपए का लोन लिया था। उसने इस वाहन की लोन राशि 30 जून 2014 तक चुका दी और उस पर कोई राशि बकाया नहीं रही। वहीं एक अन्य ट्रक के लिए भी परिवादी ने बैंक से 2009 में 14.65 लाख रुपए का लोन लिया था और उसका भुगतान भी कर दिया दिया। इसके बाद उसका लोन खाता भी 27 सितंबर 2013 को बंद हो गया। इसके बावजूद भी विपक्षी बैंक ने परिवादी के वाहनों की एनओसी जारी नहीं की। इसे उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए परिवादी ने दोनों वाहनों की एनओसी जारी करने का आग्रह किया। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने बैंक पर हर्जाना लगाते हुए बैंक को दोनों वाहनों की एनओसी जारी करने के आदेश दिए हैं।

छह लाख के लोन के 11 लाख वसूलने के बाद भी 18 लाख बकाया

जयपुर। महानगर के अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने 6 लाख रुपए का लोन देकर 11 लाख रुपए की वसूली करने के बाद 18 लाख रुपए बकाया निकालने और धोखाधड़ी करने के मामले में एडलवेस एसेट रिकन्सट्रक्शन कंपनी व उसके कर्मचारी के खिलाफ झोटवाड़ा थाना पुलिस को मामला दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश मुन्ना मनीहार के परिवाद पर दिए।

परिवाद में अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि परिवादी ने वर्ष 2006 में जीई मनी फाइनेंस कंपनी से 9.83 फीसदी ब्याज दर से छह लाख रुपए की राशि का होम लोन लिया था। जिसे 156 माह में ब्याज सहित लौटाना था। यह कंपनी अब इडलवेस एसेट कंपनी के स्वामित्व के अधीन आती है। परिवादी ने अब तक कुल दी जाने वाली 14.17 लाख रुपए में से 11 लाख रुपए से अधिक का भुगतान कर दिया है। इसके बावजूद भी कंपनी के कर्मचारी 18 लाख रुपए और बकाया बताकर उसे जमा कराने के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। कंपनी के कर्मचारियों ने दस्तावेजों में हेराफेरी कर किस्त की अवधि को बढ़ाकर 270 माह कर दिया।

राजस्थान पर्यटकों की पहली पसंद है और प्रत्येक पर्यटक हमारा अतिथि है : गायत्री राठौड़

जयपुर, (का.सं.)। प्रमुख शासन सचिव,पर्यटन गायत्री राठौड़ का कहना है कि पर्यटन का सिरमौर राजस्थान पर्यटकों की पहली पसंद है। यहां आने वाला प्रत्येक पर्यटक हमारा अतिथि है।

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मंशा अनुसार हमारा प्रयास है कि राज्य में आने वाला प्रत्येक पर्यटक यहां यादगार पल बिताकर जाए। इसी भावना के अनुरूप प्रदेश में पर्यटकों व विशेषकर महिला पर्यटकों के साथ सम्मानजनक व संवेदनशील व्यवहार करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है। जागरूकता अभियान शुक्रवार को भी जारी रहा जिसमें जयपुर समेत जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर,

- **आमेर में लपकागिरी करते पाए जाने पर हुई कार्यवाही, दो लाइसेंस जब्त किये**

भरतपुर सहित प्रमुख जिलों के पर्यटन स्थलों पर दुकानदारों, पर्यटक गाइड्स और आमजन को पर्यटकों से संवेदनशील व्यवहार करने का संदेश दिया गया।

राठौड़ ने बताया कि अभियान के दौरान पर्यटकों को फीडबैक फॉर्म देकर उनकी समस्याओं को जानकर उसे पर कार्यवाही भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह फीडबैक फॉर्म ऑफलाइन होने के साथ ही ऑनलाइन भी है। इस फीडबैक फॉर्म में एक क्यूआर कोड है जिसे स्कैन करने पर एक गूगल फॉर्म खुलेगा, जिस पर पर्यटक अपनी शिकायतों के साथ साथ सुझाव दे सकते हैं। पर्यटकों द्वारा इस फीडबैक फॉर्म के जरिए पर्यटन स्थलों पर उपलब्ध सुविधाओं की गुणवत्ता का फीडबैक भी दिया जा सकता है। निदेशक पर्यटन विभाग डॉ. रश्मि शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को उपनिदेशक पर्यटन सहायता बल नारायण कुमार बाजिया के नेतृत्व में आमेर में लपकागिरी करते हुए महबूब खान नाम के एक व्यक्ति को पड़कर कार्यवाही के लिए आमेर पुलिस थाने को सुपुर्द किया गया है। उन्होंने बताया कि आमेर किला मार्च पर पर्यटक गाइड को चेक करने पर पर्यटक गाइड रतनलाल सैनी के पर्यटक गाइड सम्बंधी लाइसेंस की अवधि मार्च 2023 में समाप्त होना पाया गया। इसके साथ ही उसे अवैध रूप से पर्यटक गाइड का काम करते हुए पकड़ा गया, जिसे कार्यवाही के लिए आमेर पुलिस थाने को सुपुर्द किया गया। आमेर गांधी चौक पर पर्यटक गाइड चरणलाल बुनकर और अभिषेक सिंह शेखावत को आम सड़क पर पर्यटक वाहनों को रुकवाने तथा जबरदस्ती पर्यटक गाइड करते पाए जाने पर दोनों गाइड के लाइसेंस जब्त किए गए। इसी प्रकार जल महल पर दो नाबालिग बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना चाह रहे थे, उनको उपनिदेशक पर्यटन सहायता बल की ओर से समझाया गया तथा बिना अनुमति के ड्रोन ना उड़ाने के लिए पाबंद किया।

यमुना जल समझौते पर आभार जताया

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजस्थान और हरियाणा के मध्य यमुना जल को लेकर हुए समझौते के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार जताया है। जोशी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार मोदी गारंटी के साथ जनहित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ध्यान नही दिए जाने के कारण यह योजना इतने लम्बे समय तक लंबित रही। अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत की अध्यक्षता में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल की बैठक में समझौता होने के बाद हरियाणा बरसात के दिनों में यमुना का अतिरिक्त पानी राजस्थान को देगा।

भाजपा राष्ट्रीय परिषद की बैठक को प्रधानमंत्री आज संबोधित करेंगे : राजीव प्रताप रूडी

जयपुर/नई दिल्ली, (का.सं.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दो दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक शनिवार से राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आरंभ हो गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के चुनावी अभियान की व्यापक रूपरेखा पेश करेंगे। बैठक में सारण के सांसद सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रुडी, जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह, जिला सह प्रभारी, विस्तारक दिलीप कुमार के साथ अन्य पार्टी पदाधिकारी भी शामिल हुए।

राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में केंद्रीय मंत्री, पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री, राष्ट्रीय और राज्य में पार्टी के पदाधिकारी समेत सांसद और विधायकों सहित लगभग 12000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस संदर्भ में सांसद रुडी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए 370 और उसकी अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के लिए 400 से ज्यादा सीट पर जीत की बात कही है। इस बैठक में इस बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री लिए प्रेरित करेंगे और साथ ही इसकी रुपरेखा भी प्रस्तुत की जायेगी।

भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक शनिवार से राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में शुरू हुई। बैठक में सारण के सांसद सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रुडी, जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह, जिला सह प्रभारी, विस्तारक दिलीप कुमार के साथ अन्य पार्टी पदाधिकारी भी शामिल हुए।

उन्होंने बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे और अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी रविवार को समापन सत्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार से आरंभ होने वाली भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की दो दिवसीय बैठक में हिस्सा लेने भारत मंडपम पहुंचे जहां पार्टी के अध्यक्ष जे पी नड्डा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। रुडी ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने 'मोदी-मोदी' के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन किया और फिर विकसित भारत की अवधारणा पर आधारित विकसित भारत प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। मालूम हो कि प्रतिनिधियों के लिए बैठक स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी के भारत को विकसित देश बनाने के दृष्टिकोण और उनकी सरकार द्वारा लोगों के कल्याण और देश की प्रगति के लिए किए गए कार्यों को दर्शाया गया है।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 01/24
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम माधुरी अग्रवाल पुत्री मोहनलाल जाति अग्रवाल
विवाद स्थान मालवीय नगर, जयपुर
मृतक श्रीमती संतोष अग्रवाल की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 28/03/24
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय मे इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम संतोष अग्रवाल पुत्री मोहन लाल जाति महाजन निवासी सी-148, महावीर मार्ग, मालवीय नगर जयपुर (राज.) का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय मे दिनांक 28 माह 03 सन् 2024 को न्यायालय मे उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 14 माह 02 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
आज्ञा से-शरिस्तेदार
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
मोहर अदालत **संख्या-10 जयपुर महानगर प्रथम**
न्यायालय सांगानेर

सम्मन बनाम कायम मुकाम

(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत ADJ-1 मुकाम हिण्डौन सिटी
ब्रजमोहन बाबत राधेश्याम
दावा बाबत केंक्शलेशन और वसीयत आदि
मुकद्दमा नम्बर 29/12 सन्
बनाम्
मुसम्म विजेन्द्र वल्द राधेश्याम कौम जांगिड ब्राह्मण साकिन अलवर परगना राजस्थान
चूंकि ब्रजमोहन आदि ने इस अदालत में तारीख... माह...सन्... को 1. ब्रजमोहन आदि बनाम 2. राधेश्याम वगै. दायर की जो कि बाद में फोत हो गया। और चूंकि..... मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी राधेश्याम मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है बजाय उसके आप 3. प्रतिवादी सं.1/5 बनाये जावें।
लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जवाब देही 1..... 26 माह 02 सन् 2024 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिये तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकद्दमा आपकी गैर हाजरी में सुना व फैसल किया जावेगा।
वसल्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 02 सन् 2024 को जारी किया गया।
आज्ञा से-सीनियर रीडर
मोहर अदालत **अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश**
सं.-1, हिण्डौन सिटी

उत्तर पश्चिम रेलवे

खुली ई-निविदा सूचना (सर्वे एवं निर्माण)
भारत संघ के राष्ट्रपति एवं उनकी और से उप मुख्य अभियन्ता निर्माण, उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर इच्छुक ठेकेदारों से निम्न लिखित कार्य के लिए निर्धारित इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट पर ऑन लाइन खुली ई – निविदा (दो पैकेट प्रणाली) आमंत्रित करते है। **1. निविदा सूचना संख्या** : उपरे-एससी-बीकेएन-18-2023-24 **2. कार्य का नाम स्थान सहित** : मनहेरु – बवानी खेड़ा एवं भिवानी-डोभ बहाली दोहरीकरण परियोजना के संबंध में बवानी खेड़ा से मनहेरु खंड पर किलोमीटर 69.680 (शामिल) से किलोमीटर 101.800 (शामिल) और रोहतक – भिवानी खंड पर किलोमीटर 45.200 से किलोमीटर 49.00 (मनहेरु, भिवानी और बवानी खेड़ा शामिल) खंड पर ब्रॉड गेज मैन लाईन, लूप लाईन, यार्डों में पॉइंट और क्रोसिंग शामिल को डालना तथा जोड़ना, गिट्टी को फैलाना, ट्रैक की टेम्पिंग, पी वे सामग्री का परिवहन और अन्य सहायक सहायक कार्य करना। **3. कार्य की अनुमानित लागत** : रु. 13,73,80,389.66 **4. जमा की जाने वाली बिड सिक्योरिटी (धरोहर राशि)** : 8,36,900.00 **5 निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की दिनांक** :14.03.2024 को 15.00 बजे तक **6 वेबसाईट का विवरण, जहां पर ई- निविदा देखी व मरी जा सकती हैं** I: www.ireps.gov.in **7. कार्यालय ई-मेल का पता**: dycec@bkn.railnet.gov.in **नोट** :- **1.** कोई भी निविदा व्यक्तिगत रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी । **2.** बिड सिक्योरिटी (धरोहर राशि) का भुगतान नकद ई पेमेंट गेट वे द्वारा अथवा भारत स्थित किसी Scheduled commercial bank द्वारा जारी बैंक गारंटी बॉन्ड अथवा निविदा दस्तावेज में उल्लेखित अनुसार किया जाना चाहिए। बैंक गारंटी बॉन्ड वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी निर्माण उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के पक्ष में ही जारी किया जाना चाहिए अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।
218-DG/24
हमें /NWRailways NWRailways_पर फॉलो करें

उत्तर पश्चिम रेलवे

खुली ई-निविदा सूचना (सर्वे एवं निर्माण)
भारत संघ के राष्ट्रपति एवं उनकी और से उप मुख्य अभियन्ता निर्माण, उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर इच्छुक ठेकेदारों से निम्न लिखित कार्य के लिए निर्धारित इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट पर ऑन लाइन खुली ई – निविदा (दो पैकेट प्रणाली) आमंत्रित करते है। **1. निविदा सूचना संख्या**: उपरे-एससी-बीकेएन-17-2023-24 **2 कार्य का नाम स्थान सहित** : मनहेरु – बवानी खेड़ा एवं भिवानी – डोभ बहाली दोहरीकरण परियोजना के संबंध में मनहेरु से बवानी खेड़ा खंड पर किलोमीटर 69.680 (शामिल) से किलोमीटर 101.800 (शामिल) और रोहतक – भिवानी खंड पर किलोमीटर 36.800 से किलोमीटर 49.00 (भिवानी सिटी, मनहेरु, भिवानी और बवानी खेड़ा शामिल) के बीच में सैस (स्टेशन यार्ड शामिल) पर आर डी एस ओ के स्पेसिफिकेशन के अनुरूप 65 एम एम गेज मशीन से तोड़ी हुई स्टोन बैलास्ट (हार्ड स्टोन) की आपूर्ति एवं चट्टे लगाने का कार्य करना। **3. कार्य की अनुमानित लागत** : रु. 13,96,88,764.88 **4. जमा की जाने वाली बिड सिक्योरिटी (धरोहर राशि)** : रु. 8,48,500.00 **5 निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की दिनांक** : 11.03.2024 को 15.00 बजे तक **6 वेबसाईट का विवरण, जहां पर ई-निविदा देखी व मरी जा सकती हैं**। www.ireps.gov.in **7.कार्यालय ई-मेल का पता**: dycec@bkn.railnet.gov.in **नोट** :- **1.** कोई भी निविदा व्यक्तिगत रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी । **2.** बिड सिक्योरिटी (धरोहर राशि) का भुगतान नकद ई पेमेंट गेट वे द्वारा अथवा भारत स्थित किसी Scheduled commercial bank द्वारा जारी बैंक गारंटी बॉन्ड अथवा निविदा दस्तावेज में उल्लेखित अनुसार किया जाना चाहिए। बैंक गारंटी बॉन्ड वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी निर्माण उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के पक्ष में ही जारी किया जाना चाहिए अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।
217-DG/24
हमें /NWRailways NWRailways_पर फॉलो करें

विवादकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर सिविल जज (क.ख.) क्रम-1
जयपुर जिला जयपुर
संतोष सिंह विरूद्ध जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
वाद सं. 203 सन् 19
बनाम गोरधन सिंह पुत्र उम्मेद सिंह जाति राजपूत स्थान C/o 588 आदर्श नगर बीस दुकान के पास जयपुर
.....ने आपके विरुद्ध..... के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 14 माह 03 सन् 2024 को दिन में..... बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात में (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
आज ता.14 माह 02 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत **अति. सिविल न्यायाधीश**
क्रम-1, जयपुर जिला जयपुर

विवादकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
नाम न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्थान जयपुर जिला जयपुर
मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति लि, विरूद्ध तेजकरण व अन्य
वाद बाबत विशिष्ठ अनुपालना संविदा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वाद सं. 242 सन् 2015
नाम श्रीमती शिवानी गर्ग पुत्री स्व.श्री भीमसेन गर्ग पत्नी श्री मंयक निवासी मकान नं. बी-98, ज्ञान मार्ग, तिलक नगर, जयपुर, राजस्थान
वादी ने आपके विरुद्ध वाद के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 28 माह 3 सन् 24 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वादकी सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज दिनांक 16 माह 02 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।
मोहर अदालत **आज्ञा न्यायालय से**
वरिष्ठ मुंसरिम, जिला न्यायालय जयपुर जिला, जयपुर

इतला नामा बनाम रेस्पाडेन्ट
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर
राजस्थान

अपील 01/2023
डिग्